

25/9/25 पत्रावली पेटा 521 वकील प्रार्थी उप। अप्रार्थी रु. 2.3.4.5 अनु.। आदिवासी अप्रार्थी 6.7 उप.।
 वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वास्ते अप्रार्थी रु. 5 का नाम डिलीट करने पर बहस सूचक प्रकटा सुनी गयी। वकील प्रार्थी के भ्रवठासुदा बहस पर प्रश्न करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया सम्पूर्ण विवेचन के उपरान्त प्रकटा के निम्नलिखित शर्तों वकील प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र में आंशिक रूप से के आधार पर एक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी रु. 5 का नाम प्रार्थना-पत्र से डिलीट किया जाता है। पत्रावली आदिवासी बहस बहस दिनांक 26/9/25 को पेटा हो।

अति. जिला जलेश्वर. जाली

26/9/25 पत्रावली पेटा 521 वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थी रु. 2.3.4.5 अनु.। आदिवासी अप्रार्थी रु. 6.7 उप.।
 अप्रार्थीगण को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु बार-बार आवाजे लगावाये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण असालतम। न्यायालय में अनु.। होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई अमल में लाई जाती है। उक्तपत्र की बहस सुनी गयी। भ्रवठासुदा बहस पर प्रश्न करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। सम्पूर्ण विवेचन के उपरान्त वकील प्रार्थना प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं इस न्यायालय के प्रकटा संख्यां 60/2009 स.प्र.वत् सं. राणागिरी बनाम सरपंच वगैरा में पं. इ. वि. दिनांक 01/11/2017 को पुनः देखे र किया जाता है। तथा पुनः नये नम्बर पर दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल सुनाए लेका इस न्यायालय के नम्बर से कम हो।

अति. जिला जलेश्वर. जाली